कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉ. प्रमोद मलिक।

पेटेंट कॉपी राइट्स एवं डिजाइन ट्रेड मार्क विषय पर आधारित कार्यशाला आयोजित

गोहाना, 13 फरवरी (रामनिवास धीमान): भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां के आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ व बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रकोष्ठ द्वारा संयुक्त रूप से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जिसमे कार्यशाला में 54 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ के निदेशक प्रो. अशोक वर्मा ने की। पेटेंट कॉपी राइट्स एवं डिजाइन ट्रेड मार्क विषय पर आधारित कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रकोष्ठ के निदेशक डॉ. प्रमोद मलिक ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। डॉ. प्रमोद मलिक ने कहा कि नए शोध व नए काम का पेटेंट कराने से संपत्ति सुरक्षित रहती है और आर्थिक लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थान में शिक्षण शोध कार्य पेटेंट करवाना चाहिए। इससे न केवल संस्थान को विश्व पटल पर पहचान मिलती है अपितु आर्थिक संसाधनों में भी वृद्धि होती है। उन्होंने शोधार्थियों के लिए 2018 के प्लेगिरिसम निरोधक अधिनियम पर भी प्रकाश डाला। महिला विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो सुदेश ने कहा कि पेटेंट करवाने से हमारा शोध कार्य सुरक्षित होता है। पेटेंट के प्रति जागरूकता जरूरी है।

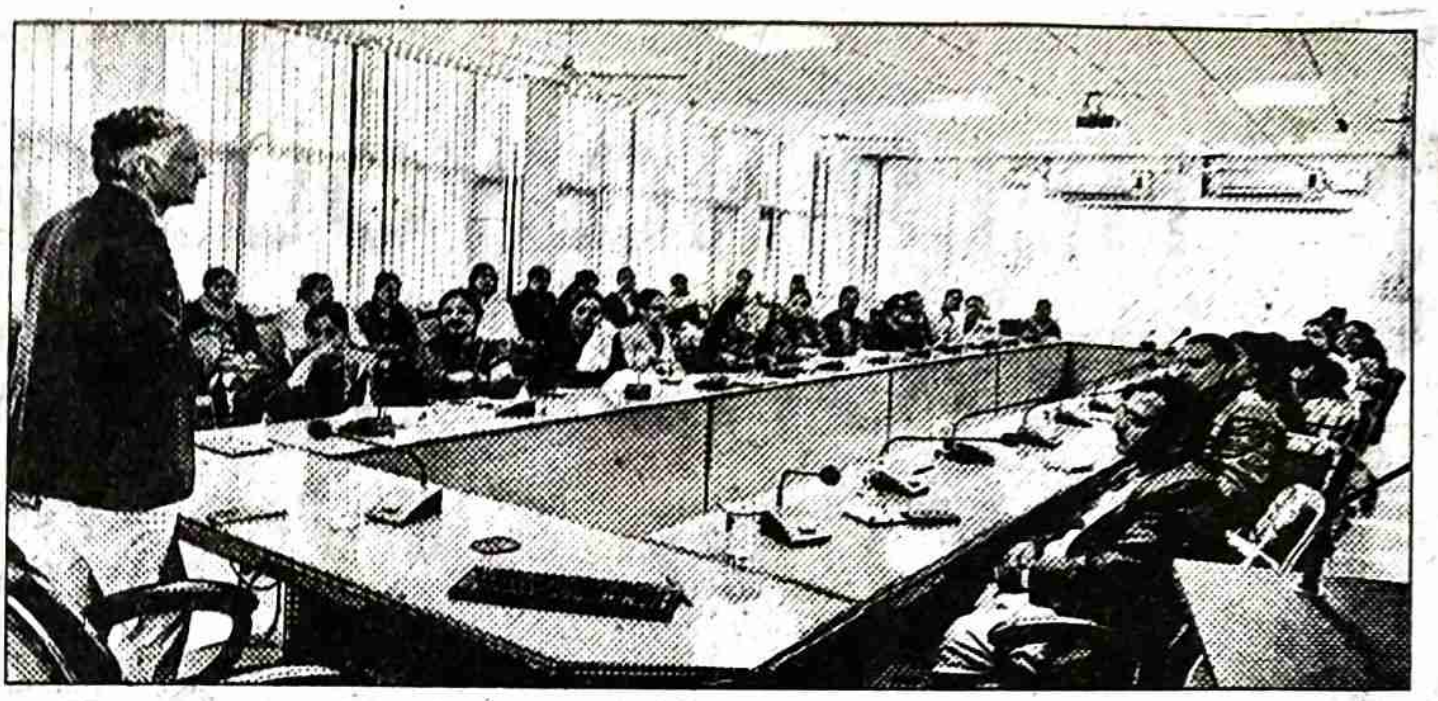

गोहाना। कार्यशाला को सम्बोधित करते डॉ. प्रमोद मलिक। *फोटो : हरिभूमि*

शिक्षण शोध कार्य पेटेंट करवाना जरूरी : डॉ. प्रमोद

गोहाना। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां के आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ व बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रकोष्ठ द्वारा संयुक्त रूप से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। पेटेंट कॉपी राइट्स एवं डिजाइन ट्रेड मार्क विषय पर आधारित इस कार्यशाला की अध्यक्षता आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ के निदेशक प्रो. अशोक वर्मा ने की। मुख्य वक्ता के रूप में बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रकोष्ठ के निदेशक डॉ. प्रमोद मलिक ने कहा कि नए शोध व नए काम का पेटेंट कराने से संपत्ति सुरक्षित रहती है और आर्थिक लाभ मिलता है। शैक्षणिक संस्थान में शिक्षण शोध कार्य पेटेंट करवाना चाहिए। इससे न केवल संस्थान को विश्व पटल पर पहचान मिलती है अपितु आर्थिक संसाधनों में भी वृद्धि होती है। उन्होंने शोधार्थियों के लिए 2018 के प्लेगिरिसम निरोधक अधिनियम पर भी प्रकाश डाला। अपने सन्देश में महिला विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुदेश ने कहा कि पेटेंट करवाने से हमारा शोध कार्य सुरक्षित होता है। पेटेंट के प्रति जागरूकता जरूरी है। वे बोली कि प्रतिभा की कमी नहीं है, कमी है, उसे सामने लाने की और जागरूकता की। इस तरह के आयोजन शिक्षकों व शोधार्थियों के लिए निश्चित ही लाभदायक रहने वाले हैं। एक दिवसीय कार्यशाला में 54 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

All India Media Association
(Under Operating By AIMAMEDIA Foundation)
AIMAMEDIA
(https://aimamedia.org/)
Hindi

Manoj, Sonipat, Haryana (HR) (Otherpost.Aspx?By=138878)
13/02/2025 02:52 अपराह्न

पेटेंट के प्रति जागरूकता जरूरी-कुलपति प्रो सुदेश

खानपुर कलां -13 फरवरी। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां के आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ व बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रकोष्ठ द्वारा संयुक्त रूप से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। "पेटेंट कॉपी राइट्स एवं डिज़ाइन ट्रेड मार्क " विषय पर आधारित कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रकोष्ठ के निदेशक डॉ प्रमोद मलिक ने प्रतिभागियों को सम्बोधित किया। वहीं कार्यशाला की अध्यक्षता आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ के निदेशक प्रो अशोक वर्मा ने की।

प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए डॉ प्रमोद मलिक ने कहा कि नए शोध व नए काम का पेटेंट कराने से संपत्ति सुरक्षित रहती है और आर्थिक लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थान में शिक्षण शोध कार्य पेटेंट करवाना चाहिए। इससे न केवल संस्थान को विश्व पटल पर पहचान मिलती है अपितु आर्थिक संसाधनों में भी वृद्धि होती है। उन्होंने शोधार्थियों के लिए 2018 के प्लेगिरिसम निरोधक अधिनियम पर भी प्रकाश डाला।

अपने सन्देश में महिला विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो सुदेश ने कहा कि पेटेंट करवाने से हमारा शोध कार्य सुरक्षित होता है। पेटेंट के प्रति जागरूकता जरूरी है। आयोजकों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रतिभा की कमी नहीं है, कमी है, उसे सामने लाने की और जागरूकता की। इस तरह के आयोजन शिक्षकों व शोधार्थियों के लिए निश्चित ही लाभदायक रहने वाले है।

एक दिवसीय कार्यशाला में 54 प्रतिभागियों ने भाग लिया। फोटो कैप्शन -01. "पेटेंट कॉपी राइट्स एवं डिज़ाइन ट्रेड मार्क " विषय पर आधारित कार्यशाला को सम्बोधित करते डॉ प्रमोद मलिक।